

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 09-09-2025

विषय सूची

- » भारत-इंडिया द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)
- » BRICS वर्चुअल शिखर सम्मेलन
- » रेड सी/लाल सागर केबल व्यवधान के मध्य जल के नीचे के क्षेत्र में जागरूकता की आवश्यकता
- » भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2021-23
- » आधार को एसआईआर अभ्यास के लिए वैध प्रमाण माना जाना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय
- » पनडुब्बी/सबमरीन केबल

संक्षिप्त समाचार

- » बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में GI टैग को प्रोत्साहन
- » अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO-2025)
- » यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)
- » हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बना
- » इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC)
- » टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन(2FA)
- » घोस्ट बैट ड्रोन
- » हिलसा मछली (तेनुओलोसा इलीशा)
- » ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स)

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA)

संदर्भ

- भारत और इजराइल ने एक द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIA) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- इजराइल भारत के नए मॉडल संधि ढांचे के अंतर्गत निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) सदस्य देश बन गया है।
- यह BIA 1996 में हस्ताक्षरित पूर्व निवेश संधि प्रतिस्थापित करता है, जिसे भारत की नीति में परिवर्तन के अंतर्गत 2017 में समाप्त कर दिया गया था।
- यह समझौता द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देगा, जो वर्तमान में कुल USD 800 मिलियन है।
- नया समझौता निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय विनियमन एवं डिजिटल सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा देता है।
- इस समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों की आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

- यह 38 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है।
- स्थापना:** 1961 में (1948 में स्थापित OEEC – यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन से विकसित हुआ, जिसे WWII के बाद मार्शल योजना को लागू करने के लिए बनाया गया था)।
- मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस।
- आदर्श वाक्य:** “बेहतर नीतियाँ बेहतर जीवन के लिए”।
- आधिकारिक भाषाएँ:** अंग्रेजी और फ्रेंच।

भारत और इजराइल द्विपक्षीय संबंध एवं विकसित होती साझेदारी

- द्विपक्षीय संबंध:** भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता

दी थी। 1992 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए और नियमित दूतावास खोले गए।

- 2022-23 में दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ संयुक्त रूप से मनाई।
- रक्षा और सुरक्षा:** इजराइल भारत को AWACS रडार, ड्रोन, मिसाइल और निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीक प्रदान करता है, जिससे वह भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
- द्विपक्षीय व्यापार:** भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वैश्विक स्तर पर सातवां।
 - FY 2023-24 और FY 2024-25 में रक्षा को छोड़कर द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः US\$ 6.53 बिलियन और US\$ 3.75 बिलियन रहा।
- निवेश:** अप्रैल 2000 – मार्च 2024 के दौरान इजराइल का भारत में प्रत्यक्ष FDI US\$ 334.2 मिलियन रहा।
 - भारत में इजराइल की 300 से अधिक निवेश परियोजनाएँ हैं, मुख्यतः उच्च तकनीक, कृषि और जल क्षेत्र में।
- कृषि और जल प्रबंधन:** 1993 में कृषि सहयोग पर पहला समझौता हुआ।
 - 2006:** कृषि पर व्यापक कार्य योजना शुरू की गई (3-वर्षीय चक्रों में) – MASHAV (इजराइल की अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी) द्वारा लागू।
 - 2025:** संशोधित कृषि सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे साझेदारी के क्षेत्र विस्तारित हुए।
 - इंडो-इजराइली उत्कृष्टता केंद्र (CoE) बागवानी क्षेत्र में इजराइली विशेषज्ञता, तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन करते हैं।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी और नवाचार:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) में सहयोग 1993 में हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत स्थापित संयुक्त समिति द्वारा देखा जाता है।
 - US\$ 40 मिलियन का भारत-इजराइल औद्योगिक R&D और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) संयुक्त परियोजनाओं के लिए स्थापित किया गया।

- बहुपक्षीय सहयोग: दोनों देश I2U2 समूह (भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE) के सक्रिय सदस्य हैं, जो आर्थिक और अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित है – जैसे खाद्य पार्क एवं अंतरिक्ष आधारित पर्यावरणीय उपकरण।

भारत के लिए महत्व

- रक्षा और सुरक्षा: इजराइल भारत के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विश्वसनीय भागीदार है और आत्मनिर्भर भारत एवं 'मेक इन इंडिया' में सहायक हो सकता है।
- कृषि और जल: इजराइल नवाचार, जल संरक्षण और उच्च उत्पादकता वाली कृषि के लिए जाना जाता है, जिसे भारत सहयोग के माध्यम से अपना सकता है।
- भू-राजनीति: इजराइल पश्चिम एशिया में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है जो भारत की 'एक्ट वेस्ट' नीति को पूरक करता है।

आगे की राह

- भारत-इजराइल संबंध एक रणनीतिक साझेदारी हैं जो रक्षा, कृषि, जल, नवाचार और व्यापार तक फैली हुई है।
- रक्षा एवं कृषि सबसे सुदृढ़ स्तंभ हैं, जबकि सहयोग खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप्स और I2U2 बहुपक्षवाद जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है।
- यह समझौता दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है।
- इस समझौते से निवेश को बढ़ावा देने, निवेशकों को अधिक निश्चितता और सुरक्षा प्रदान करने की संभावना है।

Source: PIB

BRICS वर्चुअल शिखर सम्मेलन

संदर्भ

- हाल ही में, अमेरिकी टैरिफ विवाद पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में एक वर्चुअल BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
 - यह सम्मेलन ब्राज़ील द्वारा आयोजित गया था, जब अमेरिका ने भारत और ब्राज़ील दोनों पर 50% टैरिफ लगा दिए थे।

शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का दृष्टिकोण

- भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के मूल सिद्धांत — गैर-भेदभाव और नियम आधारित मानदंड — की रक्षा की जानी चाहिए।
- अधिक लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की आवश्यकता है।
- सतत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व को रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

BRICS के बारे में

- BRICS एक संक्षिप्त नाम है जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाता है: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
 - मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब BRICS के नए पूर्ण सदस्य बन चुके हैं।
- BRIC शब्द मूल रूप से 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था।
- उत्पत्ति: एक औपचारिक समूह के रूप में BRIC की शुरुआत 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक से हुई।
 - इस समूह को 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA के दौरान BRIC विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक में औपचारिक रूप दिया गया।
 - प्रारंभ में इसे BRIC कहा जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे BRICS कहा जाने लगा।
- शिखर सम्मेलन: यह समूह 2009 से प्रत्येक वर्ष औपचारिक शिखर सम्मेलनों में मिलता है।
 - प्रत्येक देश एक वर्ष के लिए अध्यक्षता करता है, प्राथमिकताएँ तय करता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह समूह सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने पर निर्भर करता है।

- BRICS लगभग 49.5% वैश्विक जनसंख्या, लगभग 40% वैश्विक GDP और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
- BRICS देशों ने तीन स्तंभों के अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है:
 - राजनीतिक और सुरक्षा
 - आर्थिक और वित्तीय
 - सांस्कृतिक और जन-से-जन संपर्क
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक:** पहले इसे BRICS विकास बैंक कहा जाता था, यह BRICS देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
 - यह बैंक सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं को क्रण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से समर्थन देगा।

BRICS की बढ़ती प्रासंगिकता

- **पश्चिमी समूहों का विकल्प:** BRICS देश प्रमुख बहुपक्षीय समूहों जैसे विश्व बैंक, G7 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी दृष्टिकोण के प्रभुत्व का विकल्प बनाना चाहते हैं।
- **आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभाव:** अब 11 BRICS देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चौथाई से अधिक और विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - यह समूह गाजा पट्टी और यूक्रेन में युद्धों पर प्रभाव डालने की स्थिति में है।
- **वैश्विक प्रतिनिधित्व का समर्थन:** BRICS बहुपक्षीय संस्थानों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण को एकजुट करने का प्रयास करता है।
 - यह वर्तमान संस्थानों में सुधार की मांग करता है, जैसे UNSC का विस्तार, और इन संस्थानों के अंदर वार्ता समूह बनाना चाहता है।
- **आर्थिक नीति का समन्वय:** 2008 की वैश्विक मंदी ने BRICS देशों को प्रभावित किया, जिससे समूह ने टैरिफ नीति, महत्वपूर्ण संसाधनों के नियांत्रित प्रतिबंध और निवेश जैसे मुद्दों पर आर्थिक समन्वय पर बल दिया।

- **अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना:** BRICS नेताओं ने लंबे समय से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार या संभावित साझा BRICS मुद्रा के पक्ष में डॉलरीकरण को कम करने का समर्थन किया है।
- **वैकल्पिक वित्त प्रणाली का निर्माण:** समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और कंटिंगेंट रिजर्व अरेंजमेंट (CRA) एक वैकल्पिक ऋण संस्थान के रूप में कार्य करता है, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ कर सकता है और पारंपरिक वित्त स्रोतों पर निर्भरता को कम कर सकता है।

भारत के लिए BRICS का महत्व

- **राजनीतिक स्वायत्तता का मंच:** BRICS भारत को एक गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है, जिससे वह बिना किसी एक गुट से जुड़े वैश्विक शक्तियों से जुड़ सकता है।
- **बड़े समूह के माध्यम से वैश्विक प्रभाव में वृद्धि:** अब BRICS लगभग आधी विश्व की जनसंख्या और प्रमुख तेल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे भारत को एक अधिक प्रभावशाली आर्थिक एवं राजनीतिक समूह का हिस्सा बनने का लाभ मिलता है।
- **वैश्विक दक्षिण की अगुवाई:** BRICS में भारत स्वयं को वैश्विक दक्षिण की अग्रणी आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है।
 - BRICS का विकासशील देशों का प्रतिनिधि होने का दावा भारत के अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के प्रयासों के साथ सामंजस्यशील है।
- **मध्य पूर्व के साथ राजनीतिक जुड़ाव:** सऊदी अरब, ईरान, UAE और मिस्र के शामिल होने से भारत को ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी कल्याण, समुद्री सुरक्षा और निवेश सहयोग जैसे क्षेत्रों में नए राजनयिक एवं आर्थिक अवसर मिलते हैं।
- **बहुपक्षीय सुधार की मांग:** एक बड़ा BRICS UNSC सुधार की मांग को बल देता है, जिसमें भारत स्थायी सीट चाहता है।

- चीन के प्रभुत्व का संतुलन: व्यापक सदस्यता BRICS में चीन के प्रभुत्व को कम कर सकती है।
 - भारत नए सदस्यों के साथ गठबंधन बनाकर संतुलित एजेंडा को बढ़ावा दे सकता है और एकत्रफा निर्णयों को रोक सकता है।

चुनौतियाँ

- आंतरिक भू-राजनीतिक तनाव: भारत-चीन सीमा विवाद द्विपक्षीय विश्वास को प्रभावित करता है।
- शक्ति और प्रभाव में असमानता: चीन की आर्थिक श्रेष्ठता निर्णय लेने में असंतुलन उत्पन्न करती है।
- एकजुट दृष्टिकोण की कमी: BRICS के पास एकीकृत विचारधारा या रणनीतिक समरसता नहीं है, केवल बहुपक्षवाद और विकास जैसे व्यापक विषयों पर सहमति है।
 - सदस्य अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सामूहिक कार्रवाई सीमित होती है।
- संस्थागत सीमाएँ: BRICS के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, जिससे समन्वय अस्थायी और धूर्णन अध्यक्षताओं पर निर्भर होता है।
 - सीमित प्रवर्तन तंत्र शिखर सम्मेलन घोषणाओं और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को कमजोर करता है।
- आर्थिक असमानताएँ: सदस्य विभिन्न आर्थिक विकास चरणों में हैं और अलग-अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे समान आर्थिक लक्ष्य या व्यापार नीतियाँ तय करना कठिन होता है।
- विस्तार से जुड़ी चुनौतियाँ: नए सदस्यों का समावेश विविधता लाता है लेकिन समन्वय की जटिलता भी बढ़ता है और मूल फोकस को कमजोर करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

आगे की राह

- BRICS के अंदर आर्थिक एकीकरण को गहरा करना: सदस्य देशों के बीच व्यापार लॉजिस्टिक्स को सरल बनाना ताकि बाहरी संरक्षणवाद से उत्पन्न व्यवधानों को कम किया जा सके।

- SWIFT के विकल्प के रूप में क्षेत्रीय भुगतान तंत्र का अन्वेषण: जैसा कि पूर्व शिखर सम्मेलनों में प्रस्तावित किया गया था।
- व्यापार साझेदारों का विविधीकरण: वैकल्पिक बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना — विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में — ताकि अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता को कम किया जा सके।
 - ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्राथमिकता देना।

Source: IE

रेड सी/लाल सागर केबल व्यवधान के मध्य जल के नीचे के क्षेत्र में जागरूकता की आवश्यकता

संदर्भ

- हाल ही में रेड सी में पनडुब्बी संचार केबलों में आई बाधाओं ने भारत की “अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस” (UDA) को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। UDA का अर्थ है महासागरों और समुद्रों के नीचे की गतिविधियों की निगरानी, पहचान एवं मूल्यांकन की क्षमता।

भारत के लिए UDA क्यों महत्वपूर्ण है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता: चीन की “अंडरवाटर ग्रेट वॉल” परियोजना, जिसमें समुद्री तल सेंसर एवं मानव रहित वाहन शामिल हैं, ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में निगरानी को बढ़ाया है।
 - हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पनडुब्बी उपस्थिति भारत की सुरक्षा गणना के लिए खतरा बन रही है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा: पनडुब्बी फाइबर-ऑप्टिक केबल भारत के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय डेटा को वहन करती हैं, जिसमें वित्तीय लेन-देन, क्लाउड सेवाएँ और रक्षा संचार शामिल हैं।
 - ये केबल तोड़फोड़, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

- **समुद्री रणनीति:** भारत की 11,098.81 किमी लंबी तटरेखा, 1,382 द्वीप और 2.37 मिलियन वर्ग किमी EEZ उन्नत अंडरवाटर निगरानी की मांग करते हैं।
 - ▲ UDA समुद्री मार्गों, चोकपॉइंट्स और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- **आर्थिक सुरक्षा:** भारत की ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री खनन, और समुद्र के नीचे पाइपलाइनों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित व्यवधानों से सुरक्षा की आवश्यकता है।

भारत की पनडुब्बी केबल तकनीकी कमियाँ

- **कानूनी सुरक्षा की कमी:** भारत के पास अपनी क्षेत्रीय जल सीमाओं और EEZ में पनडुब्बी केबलों की सुरक्षा के लिए परिभाषित कानूनी तंत्र नहीं हैं।
 - ▲ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विपरीत, जहाँ UNCLOS के अंतर्गत “केबल प्रोटेक्शन ज़ोन” निर्धारित हैं, भारत ने ऐसे ज़ोन अभी तक निर्धारित नहीं किए हैं, जिससे केबलें आकस्मिक या दुर्भावनापूर्ण क्षति के प्रति असुरक्षित हैं।
- **संचालनात्मक तैयारी:** भारत के पास स्वदेशी केबल मरम्मत जहाजों की कमी है और रखरखाव के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर है।
 - ▲ यह कमी केबल क्षति के पश्चात पुनर्स्थापित में महत्वपूर्ण देरी का कारण बनती है।
- **निगरानी की कमी:**
 - ▲ पनडुब्बी केबल नेटवर्क की वास्तविक समय निगरानी के लिए भारत के पास न्यूनतम अवसंरचना है, जिससे व्यवधानों की समय पर पहचान और प्रतिक्रिया में जोखिम बढ़ता है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **डीप ओशन मिशन (DOM) को आगे बढ़ाना:** भारत का ₹4,077 करोड़ का DOM मिशन तीव्रता से प्रगति कर रहा है, जिसमें समुद्रयान परियोजना शामिल है।
 - ▲ स्वदेशी रूप से निर्मित Matsya-6000 सबमर्सिबल, जो 6,000 मीटर की गहराई तक पहुँचने में सक्षम है,

- 2027 में मानवयुक्त मिशन के लिए निर्धारित है।
- ▲ हाल ही में 5.5 किमी गहराई तक संचार सक्षम करने वाले अंडरवाटर हाइड्रोफोन का परीक्षण गहरे समुद्री इंजीनियरिंग में एक बड़ी उपलब्धि है।
- **रणनीतिक साझेदारियों का लाभ उठाना:** ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्नत टोइड-एरे ध्वनिक प्रणालियों पर सहयोग और अमेरिका के साथ स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन (ASIA) के अंतर्गत स्वायत्त अंडरवाटर तकनीकों पर साझेदारी भारत के इंडो-पैसिफिक में सुदृढ़ अंडरवाटर निगरानी के प्रयास को दर्शाती है।
- **स्वदेशी समुद्री अवसंरचना:** INS निस्तार का कमीशनिंग, जिसमें 80% स्वदेशी सामग्री है, यह दर्शाता है कि अनुसंधान, अन्वेषण और रक्षा आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- **संसाधन सुरक्षा और ऊर्जा अन्वेषण:** राष्ट्रीय डीप वाटर अन्वेषण मिशन (समुद्र मंथन) का शुभारंभ भारत के विशाल EEZ में अपतटीय तेल और गैस भंडार को लक्षित करके आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को एकीकृत करता है।

आगे की राह

- **भारतीय स्वामित्व वाले केबल मरम्मत जहाजों और समर्पित पनडुब्बी रखरखाव बेड़े की स्थापना:**
 - ▲ इससे विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम होगी।
 - ▲ वास्तविक समय ध्वनिक और सेंसर ग्रिड में निवेश से व्यवधानों की समय पर पहचान संभव होगी।
- **तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना:**
 - ▲ स्वदेशी मानव रहित अंडरवाटर वाहन (UVVs), एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणालियाँ और उन्नत सोनार तकनीकों के विकास को तीव्र किया जाए ताकि क्षमता अंतर को समाप्त किया जा सके।
- **AI-संचालित सोनार डेटा विश्लेषण, सैटेलाइट-लिंक्ड सेंसर और पूर्वानुमान मॉडलिंग को अपनाना:**
 - ▲ इससे हिंद महासागर क्षेत्र में वास्तविक समय की स्थिति जागरूकता को सुदृढ़ मिलेगी।

Source: ORF


भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2021-23

संदर्भ

- भारत सरकार ने मातृ मृत्यु पर विशेष बुलेटिन 2021-23 जारी किया है, जिसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय (ORGI), गृह मंत्रालय द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के अंतर्गत तैयार किया गया है।


परिचय

- रिपोर्ट में 2021-23 की अवधि के लिए 1,00,000 जीवित जन्मों पर 88 की स्थिर मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) दर्शाया गया है।
- राज्यों को क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए “सशक्त क्रियात्मक समूह” (EAG), “दक्षिणी” और “अन्य” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।



मातृ मृत्यु क्या है?

- मातृ मृत्यु वह मृत्यु है जो किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के अंदर होती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो, यदि मृत्यु का कारण गर्भावस्था या उसकी देखभाल से संबंधित या उससे बढ़ा हुआ हो, लेकिन आकस्मिक या अप्रासंगिक कारणों से नहीं।
- मातृ मृत्यु अनुपात (MMR):** यह 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है।
- मातृ मृत्यु दर:** यह 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु की संख्या है, जिसे SRS के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है।
- सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.1 का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है।**



मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार की पहलें

- जननी सुरक्षा योजना (JSY):** 2005 में शुरू की गई, JSY का उद्देश्य मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह योजना विशेष रूप से कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
- प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना (PMMVY):** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मातृत्व लाभ योजना है।
 - योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के लिए ₹5000/- का लाभ प्रदान किया जाता है, कुछ शर्तों की पूर्ति पर।
 - ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत योजना (PMMVY 2.0) में दूसरी संतान के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन दिया जाता है, यदि वह कन्या हो।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** 2016 में शुरू की गई यह योजना प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करती है।

- लक्ष्य (LaQshya):** 2017 में शुरू की गई यह पहल प्रसव कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता को सुधारने का लक्ष्य रखती है ताकि प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
- क्षमता निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए MBBS डॉक्टरों को एनेस्थीसिया (LSAS) और प्रसूति देखभाल सहित C-section (EmOC) कौशल में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- मातृ मृत्यु निगरानी समीक्षा (MDSR):** यह सुविधा स्तर और समुदाय स्तर दोनों पर लागू की जाती है। इसका उद्देश्य उपयुक्त स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई करना एवं प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (VHSND):** यह मातृ और शिशु देखभाल सहित पोषण की सेवा प्रदान करने की एक आउटरीच गतिविधि है।
- प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल:** यह एक नाम-आधारित वेब-सक्षम ट्रैकिंग प्रणाली है जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को नियमित एवं पूर्ण सेवाएँ प्रदान करने को सुनिश्चित करती है, जिसमें प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव तथा प्रसवोत्तर देखभाल शामिल है।

मातृ स्वास्थ्य सेवा में नवाचार

- मध्य प्रदेश का 'दस्तक अभियान':** यह एक सामुदायिक-आधारित अभियान है जो मातृ स्वास्थ्य जोखिमों की शीघ्र पहचान और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है।
- तमिलनाडु का आपातकालीन प्रसूति देखभाल मॉडल:** यह एक सुदृढ़ रेफरल प्रणाली है जो गर्भवती महिलाओं को समय पर आपातकालीन देखभाल प्रदान करती है, जिससे मातृ जटिलताओं में कमी आती है।

भारत में वर्तमान चुनौतियाँ

- उच्च निजी व्यय (OOP):** नीति प्रयासों के बावजूद, आपातकालीन स्थितियों में परिवारों को अक्सर जांच,

- दवाओं और निजी सेवाओं का व्यय वहन करना पड़ता है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** लैंगिक गतिशीलता, कम शिक्षा स्तर, महिलाओं की सीमित निर्णय लेने की शक्ति और मातृ देखभाल से जुड़ा कलंक प्रारंभिक देखभाल प्राप्त करने में देरी करता है।
- उच्च जोखिम वाली गर्भधारण में वृद्धि:** विलंबित प्रसव, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गर्भधारण के बीच कम अंतराल जैसी प्रवृत्तियाँ जोखिमपूर्ण गर्भधारण को बढ़ावा देती हैं।
- दूरदराज क्षेत्रों में कमजोर अवसंरचना:** ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में आपातकालीन प्रसूति देखभाल, विश्वसनीय परिवहन एवं रक्त भंडारण सुविधाओं की कमी है।

आगे की राह

- भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और 2020 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) का लक्ष्य — MMR को 100 से नीचे लाने — को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
- हालांकि, 2030 तक SDG लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
- स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करना तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना देश में मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

Source: TH

आधार को एसआईआर अभ्यास के लिए वैध प्रमाण माना जाना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि वह बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए आधार को एक वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे।

पृष्ठभूमि: बिहार का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

- यह आगामी विधानसभा चुनावों से पूर्व बिहार में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए एक नई प्रक्रिया है।
- इसमें घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है और मतदाताओं को अपनी पहचान एवं नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं।
- यह कार्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) की धारा 21 के अंतर्गत किया जा रहा है, जो निर्वाचन आयोग को लिखित रूप में कारण दर्ज कर विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक राय थी कि आधार को मतदाता पहचान पत्र (EPIC) और राशन कार्ड के साथ वर्तमान 11 स्वीकृत दस्तावेजों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
- इससे कुल दस्तावेजों की संख्या 12 हो जाती है, जिससे मतदाताओं को अधिक लचीलापन मिलता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो 2003 के बाद नामांकित हुए हैं और जिन्हें नागरिकता की पुष्टि के लिए जन्म तिथि और स्थान सिद्ध करना होता है।
- हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार की व्यापक पहुँच और उपयोगिता के बावजूद, यह नागरिकता स्थापित नहीं करता।

आधार के बारे में

- इसे 2009 में शुरू किया गया था और बाद में संसद में पारित आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 के माध्यम से वैधानिक समर्थन दिया गया, जिसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया।
- इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को 12-अंकों की आधार संख्या जारी करने और प्रमाणीकरण तथा सेवा वितरण के लिए इसके उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया।

- यह प्रत्येक निवासी की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान एवं आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग) और जनसांख्यिकीय डेटा को एकत्र करता है।
- 2025 तक, आधार 1.3 अरब से अधिक निवासियों को जारी किया जा चुका है, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन गई है।

आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- गोपनीयता का अधिकार निर्णय (2017):**
 - सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
 - इसने आधार की संवैधानिकता का मूल्यांकन करने की नींव रखी, विशेष रूप से डेटा संरक्षण और निगरानी से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में, तथा पहले के उन निर्णयों को परिवर्तित कर दिया जिन्होंने गोपनीयता को मौलिक अधिकार नहीं माना था।
- आधार निर्णय (2018):**
 - पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित को मान्यता दी:
 - आधार कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए वैध है।
 - आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करना संविधान सम्मत माना गया।
 - आधार सुशासन को बढ़ावा देता है और वंचित समुदायों को सशक्त करता है।
 - बैंक खातों, मोबाइल सिम कार्ड और स्कूल प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था को रद्द या सीमित किया गया।
 - आधार अधिनियम में राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद को रद्द कर दिया गया।
 - आधार नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।

- यह भी स्पष्ट किया गया कि आधार न्यूनतम डेटा एकत्र करता है और UIDAI की संरचना निगरानी या प्रोफाइलिंग की अनुमति नहीं देती।

हाल की घटनाएँ और स्पष्टीकरण

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में आधार को जन्म तिथि सत्यापन के लिए स्वीकृत दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, जैसा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत है।
- आधार स्वैच्छिक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ सुरक्षा उपायों के साथ — जैसे कि संवेदनशील डेटाबेस में उपयोग के समय पहले आठ अंकों को छिपाना।

Source: IE

पनडुब्बी/सबमरीन केबल

संदर्भ

- रेड सी में पनडुब्बी केबल को हुई हानि के कारण एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल हैं, में इंटरनेट की गति धीमी हो गई है।


पनडुब्बी केबल क्या हैं?

- परिभाषा:** पनडुब्बी केबल फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं जो समुद्र तल पर बिछाई जाती हैं और देशों व महाद्वीपों के बीच दो या अधिक लैंडिंग पॉइंट्स को जोड़ती हैं।
- भारत की भूमिका:** भारत वैश्विक पनडुब्बी केबल नेटवर्क में एक प्रमुख भागीदार है, जिसके पास 17 अंतर्राष्ट्रीय केबल और मुंबई तथा चेन्नई जैसे शहरों में 14 लैंडिंग स्टेशन हैं।
 - 2022 के अंत तक इन केबलों की कुल लिट क्षमता 138.606 टेराबिट्स प्रति सेकंड (Tbps) और सक्रिय क्षमता 111.111 Tbps थी।
- महत्व:** पनडुब्बी केबल वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो 99% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय डेटा विनिमय को वहन करती हैं।

- ये ई-कॉमर्स, वित्तीय लेन-देन और वैश्विक संचार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का समर्थन करती हैं।

फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है?

- फाइबर ऑप्टिक केबल एक प्रकार की नेटवर्किंग केबल होती है जो डेटा को पतली कांच या प्लास्टिक की तंतुओं (ऑप्टिकल फाइबर) के माध्यम से प्रकाश के द्वारा प्रसारित करती है।
- यह केबल डेटा को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित प्रकाश की पल्स के रूप में प्रसारित करती है।
- फाइबर ऑप्टिक्स के मुख्य घटक:**
 - कोर (Core):** डेटा संकेतों को प्रकाश पल्स में परिवर्तित कर कोर के माध्यम से भेजा जाता है, जो फाइबर के केंद्र में स्थित पतली कांच या प्लास्टिक की तंतु होती है।
 - क्लैडिंग (Cladding):** कोर के चारों ओर क्लैडिंग होती है, जो कम अपवर्तनांक वाली एक और कांच की परत होती है।
 - अपवर्तनांक में अंतर के कारण प्रकाश बार-बार क्लैडिंग से टकराता है और कोर के अंदर ही बना रहता है।
- बफर कोटिंग (Buffer Coating):** एक प्लास्टिक कोटिंग जो कोर और क्लैडिंग को क्षति से बचाती है।
- डिटेक्टर (Detector):** प्राप्त करने वाले छोर पर, एक फोटो डिटेक्टर प्रकाश पल्स को फिर से विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है जिसे कंप्यूटर या अन्य डिवाइस समझ सकते हैं।



पनडुब्बी केबल लचीलापन के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय

- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) और अंतरराष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC) ने संयुक्त रूप से पनडुब्बी केबल लचीलापन के लिए अंतरराष्ट्रीय परामर्शदात्री निकाय की शुरुआत की है।
- इस पहल का उद्देश्य पनडुब्बी केबलों की लचीलापन को सुदृढ़ करना है।
- यह परामर्शदात्री निकाय बढ़ते ट्रैफिक, पुरानी अवसंरचना और पर्यावरणीय खतरों से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

अंतरराष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC)

- ICPC की स्थापना 1958 में हुई थी। यह पनडुब्बी केबल उद्योग से जुड़े सरकारों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी केबलों की सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके लिए यह तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय जानकारी के आदान-प्रदान का मंच प्रदान करता है।


Source: D News

संक्षिप्त समाचार

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में GI टैग को प्रोत्साहन

संदर्भ

- असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) सरकार ने हाल ही में क्षेत्र की सभी 26 समुदायों की सांस्कृतिक कलाकृतियों के GI टैग पंजीकरण की दिशा में एक विशेष अभियान शुरू किया है।
 - यह पहल उन 21 बोडो स्वदेशी वस्तुओं को GI टैग मिलने के बाद की गई है।



भौगोलिक संकेतक (GI)

- परिभाषा:** भौगोलिक संकेतक (GI) एक ऐसा चिन्ह होता है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनका विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है और जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उस मूल स्थान के कारण होती है।
- GI के रूप में कार्य करने के लिए, किसी चिन्ह को यह पहचानना आवश्यक होता है कि उत्पाद किसी विशेष स्थान से उत्पन्न हुआ है।
- भौगोलिक संकेतकों का उपयोग सामान्यतः कृषि उत्पादों, खाद्य वस्तुओं, शराब और मदिरा पेयों, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।

GI टैग और भारत

- भौगोलिक संकेतक वस्तुओं का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर संरक्षण का प्रावधान करता है।

- इस अधिनियम का संचालन पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल द्वारा किया जाता है, जो भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार होते हैं।
- किसी भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होता है।

Source: IE

अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO-2025)

संदर्भ

- पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने चीन में आयोजित “अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड” (IESO-2025) में भाग लेने वाली भारतीय टीम के छात्र विजेताओं को सम्मानित किया।

परिचय

- टीम इंडिया ने कुल सात पदक जीते – 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य – साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन (I-GYM) रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।
- मंत्रालय प्रत्येक वर्ष IESO के लिए छात्रों को समर्थन देता है और पूरे भारत में 300 केंद्रों पर भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (INESO) का आयोजन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO)

- स्थापना:** 2003 में अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन (IGEO) द्वारा की गई।
 - यह बारह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में से एक है।
- यह प्रतियोगिता विश्वभर के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (कक्षा IX-XII) के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।
- भारत 2007 से इसमें भाग ले रहा है और 2013 में मैसूर में 10वें संस्करण की मेजबानी कर चुका है।
- उद्देश्य:** विश्व स्तर पर भूविज्ञान शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और पृथ्वी विज्ञान के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना।

अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन (IGEO)

- प्रकृति:** यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी।
- उद्देश्य:** यह स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक शिक्षा सहित सभी स्तरों पर भूविज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देता है।
- सदस्यता:** यह विश्वभर के व्यक्तिगत भूविज्ञान शिक्षकों, संस्थानों और संगठनों के लिए खुली है।

Source: PIB

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)

समाचार में

- 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, दुबई में प्रारंभ हुई।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में

- स्थापना:** 9 अक्टूबर 1874 (बर्न संधि के अंतर्गत)।
- संयुक्त राष्ट्र एजेंसी:** 1948 में एक विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बनी।
- उद्देश्य:**
 - अंतर्राष्ट्रीय डाक नीतियों और संचालन का समन्वय करता है।
 - अंतर्राष्ट्रीय डाक दरों की एकरूपता और घरेलू व विदेशी डाक के समान व्यवहार के लिए “एकल डाक क्षेत्र” की स्थापना की।
 - सीमा पार डाक, पार्सल और वित्तीय सेवाओं के लिए तकनीकी मानक एवं नियम निर्धारित करता है।
- सदस्य:** 192 सदस्य देश, जिससे यह सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वैश्विक संगठनों में से एक है।
- भारत की सदस्यता:** भारत 1876 में UPU का सदस्य बना।

Source: AIR

हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बना

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया, जहाँ

99.30% की साक्षरता दर प्राप्त हुई है, जो राष्ट्रीय मानक 95% से अधिक है।

साक्षरता की परिभाषा

- 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता को परिभाषित किया गया है कि सात वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकते हों।
- केवल पढ़ने की क्षमता को साक्षरता नहीं माना जाता। 2011 के आंकड़ों में भारत में साक्षरता स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (ILD)

- अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (ILD) प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा अक्टूबर 1966 में 14वीं महासभा के दौरान घोषित किया गया था।
- यह घोषणा 1965 में तेहरान में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के ऐतिहासिक विश्व सम्मेलन के पश्चात की गई थी, जिसका उद्देश्य निरक्षरता का उन्मूलन था।
- यह दिवस अब एक वैश्विक अवसर बन चुका है जिसे लगभग हर देश मान्यता देता है, और यह साक्षरता के महत्व पर चिंतन, प्रगति का मूल्यांकन एवं वर्तमान चुनौतियों का समाना करने का अवसर प्रदान करता है।
- 2025 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम: “डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना” — यह पारंपरिक साक्षरता के साथ डिजिटल कौशल को जोड़ने की आवश्यकता पर बल देता है ताकि डिजिटल अंतर को समाप्त किया जा सके।

भारत में साक्षरता की प्रगति

- भारत ने साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा, मिज़ोरम और गोवा के बाद चौथा राज्य बना है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है।
 - लद्दाख प्रथम पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है।
- राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023–24 में 80.9% हो गई है।

- ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों का नामांकन हुआ, जिसमें 90% सफलता दर रही।
- भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा एवं समावेशन को आगे बढ़ाने में ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

Source : IE

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC)

समाचार में

- हाल ही में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC) की प्लेटिनम जयंती आयोजित की गई।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC) के बारे में

- स्थापना:** 1955, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा।
- उद्देश्य:** भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इंजीनियरिंग निर्यात लक्ष्यों को ऊँचाई देना।
- यह सरकार और निर्यातकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, नीति सुधारों की समर्थन करता है और तकनीकी, वित्तीय एवं रणनीतिक सहायता प्रदान करता है।
- सदस्य:** 12,000 से अधिक कंपनियाँ, जिनमें लगभग 60% लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) हैं।
- मुख्य और पंजीकृत कार्यालय:** कोलकाता।

Source: LM

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)

समाचार में

- कई सेवाएँ सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू कर रही हैं।

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)

- यह एक साइबर सुरक्षा उपाय है जो उपयोगकर्ता सत्यापन को सुदृढ़ करता है, जिसमें पहचान के दो अलग-अलग रूपों की आवश्यकता होती है:

- ▲ कुछ जो आप जानते हैं (जैसे पासवर्ड)
- ▲ और कुछ जो आपके पास है (जैसे OTP जनरेट करने वाला ऐप या डिवाइस)।
- गूगल प्रमाणक जैसे ऐप्स एक प्रणाली का उपयोग करके छोटे, समय-संवेदनशील कोड उत्पन्न करते हैं जिसे TOTP (टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड) कहा जाता है।
- ▲ यह एक साझा सीक्रेट की ओर वर्तमान समय को 30-सेकंड के अंतराल में विभाजित करके कार्य करता है।
- ऐप और सर्वर दोनों इस कुंजी एवं समय काउंटर का उपयोग करके एक ही कोड की गणना करते हैं, जो HMAC-SHA-256 नामक क्रिप्टोग्राफिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
- ▲ यह एक सुरक्षित हैश-आधारित विधि है जो कुंजी और संदेश को XOR ऑपरेशनों के माध्यम से जोड़ती है।
- **XOR (एक्सक्लूसिव OR)** कंप्यूटर विज्ञान में एक मूलभूत लॉजिकल ऑपरेशन है जो बिट्स पर कार्य करता है।

लाभ

- यह खाता सुरक्षा को बढ़ाता है और प्रामाणिकता व अखंडता सुनिश्चित करता है, जिससे यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में डिजिटल विश्वास की आधारशिला बन गया है।

TOTP (टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड)

- TOTP, HMAC-आधारित OTP प्रणालियों का एक समय-आधारित संस्करण है, जो स्वचालित समन्वयन और केवल पासवर्ड आधारित हमलों के विरुद्ध सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करता है।
- **HMAC** का अर्थ है ‘हैश-आधारित संदेश प्रमाणीकरण कोड’।
- TOTP सुरक्षित होता है क्योंकि:
 - ▲ कोड जल्दी समाप्त हो जाते हैं (प्रत्येक 30 सेकंड में)
 - ▲ सही कोड का अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है

- ▲ सीक्रेट कुंजी प्रसारित या उजागर नहीं होती
- Source :TH

घोस्ट बैट ड्रोन

समाचार में

- ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित कर रहा है और MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन का उत्पादन कर रहा है।

घोस्ट बैट ड्रोन

- ये 38 फीट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान हैं जिन्हें ‘रोबोट विंगमेन’ के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- इन्हें दूरस्थ रूप से संचालित किया जा सकता है और ये मानव पर्यवेक्षण में पहले से निर्धारित मिशनों को उड़ान भर सकते हैं।
- इनका नाम एक आक्रामक स्थानीय चमगादड़ पर रखा गया है। इनकी रेंज लगभग 2,300 मील है, जो लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करती है।

नवीनतम विकास

- ऑस्ट्रेलिया ने बोइंग के साथ साझेदारी में इन ड्रोन के विकास और निर्माण के लिए \$650 मिलियन का निवेश किया है।
- यह विंगत 50 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में घरेलू रूप से निर्मित प्रथम विमान है, जो इसके रक्षा उद्योग के पुनरुद्धार का संकेत देता है।
- 70% घटक ऑस्ट्रेलिया में ही बनाए जाएंगे; प्रत्येक ड्रोन की लागत F-35 फाइटर जेट की लागत का लगभग 10% है।
- चीन और अमेरिका भी ‘लॉयल विंगमेन’ ड्रोन विकसित कर रहे हैं, जो मानव रहित प्रणालियों में तेजी से हो रहे विस्तार को दर्शाता है।

Source :IE

हिलसा मछली (तेनुओलोसा इलीशा)

संदर्भ

- बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा के त्योहार से पूर्व भारत को 1,200 टन हिलसा मछली के निर्यात की अनुमति देने

का निर्णय लिया है, जो ‘बांग्लादेश-भारत की स्थायी मित्रता’ का प्रतीक है।

परिचय

- **हिल्सा मछली**, जिसे इलिश भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया में विशेष रूप से बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है।
- **आवास**: यह मछली बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और फारस की खाड़ी क्षेत्र की नदियों और मुहानों में पाई जाती है।
- **राष्ट्रीय पहचान**: यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है।
- **रूप-रंग**: इसका रंग चांदी-सुनहरा होता है और इसका शरीर संकुचित व सुव्यवस्थित होता है।
- **उपनाम**: इसे “मछलियों की रानी” भी कहा जाता है।
- **स्वाद और बनावट**: इसका स्वाद तैलीय और समृद्ध होता है तथा इसकी बनावट विशेष रूप से मुलायम और परतदार होती है।
 - ▲ हिल्सा ओमेगा-3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।
- **संरक्षण स्थिति**: Least Concern (कम चिंता की श्रेणी) में सूचीबद्ध है।



Source: TH

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स)

संदर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जैसलमेर, राजस्थान में प्रस्तावित 400 हेक्टेयर बिर्मानिया रॉक फॉस्फेट खदान के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को मंजूरी दी है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संभावित आवास क्षेत्र में आता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

- GIB विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है।
- **आहार**: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सर्वाहारी है और कीट, घास के बीज, जामुन, चूहे और सरीसृपों का सेवन करता है।
- **आवास और वितरण**: कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और पाकिस्तान में व्यापक रूप से पाया जाने वाला यह पक्षी अब मुख्य रूप से राजस्थान तक सीमित रह गया है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसकी छोटी जनसंख्या उपस्थित है।
 - ▲ राजस्थान का थार मरुस्थल, विशेष रूप से डेजर्ट नेशनल पार्क, भारत में इस प्रजाति का अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है, जहाँ देश की 90% से अधिक जंगली आबादी पाई जाती है।
 - ▲ यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है।
- **महत्व**: यह अपने मूल शुष्क और अर्ध-शुष्क घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है।
- **IUCN स्थिति**: अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered)



संरक्षण प्रयास

- **प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड**:
 - ▲ इसे राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था।
 - ▲ यह परियोजना प्रजनन बाड़ों के निर्माण और बस्टर्ड के आवास पर मानव दबाव को कम करने के लिए कार्य करती है।

- **राष्ट्रीय बस्टर्ड पुनर्पासि योजना:**
 - ▲ इसे भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा लागू किया गया है।
 - ▲ इसका उद्देश्य आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन पर केंद्रित है।
- **कैप्टिव ब्रीडिंग:**
 - ▲ 2019 में एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम स्थापित किया गया, जिसमें राजस्थान के सैम और रामदेवरा में कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्र बनाए गए हैं।

- **पावर लाइन टकराव की रोकथाम:**
 - ▲ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वर्तमान पावर लाइनों पर बर्ड डाइवर्टर लगाने और महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों में भूमिगत लाइनें बिछाने के उपाय किए जा रहे हैं।

Source: IE

